वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोकन निर्माण विभाग, जिला अंबिकापुर द्वारा सूरजपुर, सरगुजा एवं जशपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत 7.185 हे., सरगुजा वन मंडल अंतर्गत 23.077 हे. एवं जशपुर वन मंडल अंतर्गत 0.842 हे.; कुल 31.104 हे वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि अंबिकापुर – पत्थलगांव (NH–78) तक पेव्हड शोल्डर सहित 02 लेन चौड़ीकरण कार्य के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है। वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

जिला / वन मंडल का नाम	राजस्व वन भूमि (हे. में)	वन भूमि (हे. में)	कुल वन भूमि (हे. में)
सूरजपुर	0.540	6.645	7.185
सरगुजा	0.00	23.077	23.077
जशपुर	0.842	0.000	0.842
योग	**1.382**	**29.722**	**31.104**

तदानुसार प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 15/06/2017

स्थान: रायपुर

(आर. के. टम्टा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर